बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

योजना एवं विकास विभाग
पत्र सं० 9122
दिनांक 8/8/25

का०आ०सं०–अ०सा०नि० / स्था०17–10 / 2023 – 162 / पटना, दिनांकः– 04/08/25

कार्यालय आदेश

श्री विशाल आनन्द, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय प्रतिनियुक्त बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शेखपुरा के विरूद्ध वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पत्रांक–1036 दिनांक–04.12.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर भेजा गया। श्री आनन्द के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में बिना किसी सूचना के दिनांक–19.03.2023 से बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के कार्यालय से लगातार अनुपस्थित पाये जाने एवं स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

श्री आनन्द के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–147 दिनांक–12.06. 2024 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती अंजना सिन्हा, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

उक्त के आलोक में संयुक्त निदेशक (कृषि)–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–850 दिनांक–20.05.2025 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में आरोप–1 में लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है तथा आरोप–2 में आरोप–1 के विरूद्ध मांगी गयी स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहा जिससे इनकी स्वेच्छाचारिता, हठधर्मिता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है अर्थात् आरोप–2 प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन एवं उसपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री विशाल आनन्द द्वारा समर्पित अभ्यावेदन / अभिकथन के समीक्षोपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री विशाल आनन्द पर आर्थिक नुकसान, भ्रष्टाचार अथवा सरकारी राशि के गबन का कोई आरोप नहीं है लेकिन इनके द्वारा अनुशासनहीनता एवं अपने कार्य में लापरवाही बरती गयी है।

श्री विशाल आनन्द, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रतिनियुक्त बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शेखपुरा के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–8237 दिनांक–06.07.2017 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के तहत निंदन की शास्तियाँ अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह० / –

(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि० / स्था०17–10 / 2023 – 1355 / पटना, दिनांकः– 04/08/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पत्रांक–1036 दिनांक–04.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री विशाल आनन्द, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय प्रतिनियुक्त बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/25

निदेशक